2373/08 Khatlar-ER

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702654

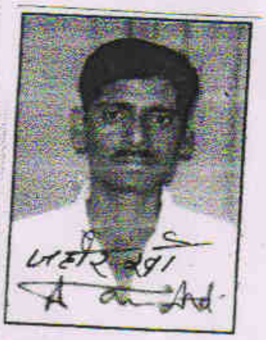

किस्म दस्तावेज :— विक्रय विलेख

स्टाम्प :— 8,56,800/—रू0

भूमि मूल्यांकन पेज नं0 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं0 1049 जो भाग 2 (ख) (I) पर स्थित है प्रस्तावित दर 8,00,000/—रू0 प्रतिहेक्टेयर से भूमि की मालियत

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702655

(2) 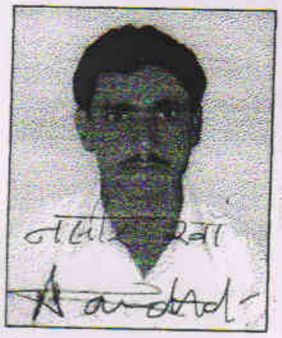

38,56,000/—रू0 है भूमिधरी में कुँआ नहीं है। भूमिधरी में जानवर बाँधने ,कृषि यन्त्र रखने के लिए पत्थर का छतदार एक मंजिला मकान जिसमें दो कमरे जिसकी कुल नाप 1000 वर्गफुट यानि 92.93 वर्गमीटर है दर 1000/—रू0 प्रतिवर्गमीटर से भूमिधरी की मालियत 93,000/—रू0 है भाग 3 (क) क्रम सं0 3 पेज नं0 27 दर 4500/—रू0 प्रतिवर्गमीटर की दर से कवर्ड एरिया की मालियत

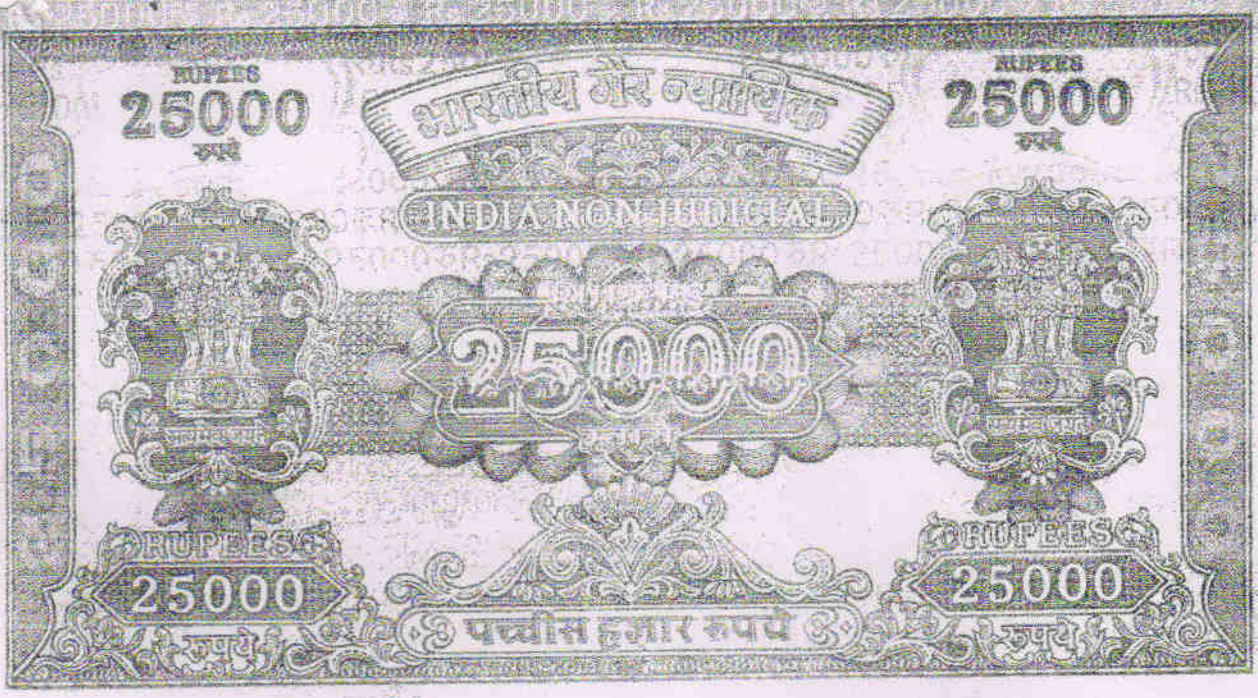

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702656

(3)

4,19,000/-रू0 है भूमिधरी में चारों ओर तारों की फैन्सिंग बनी है मालियत 1,50,000/-रू0 है तथा भूमिधरी मुवैया में 100 पेड़ संतरा 800 पेड नीबू 100 पेड़ अमरूद 10 पेड़ कटहल 10 पेड़ आम 10 पेड़ ऑवला 50 पेड़ नीम 50 पेड़ कोहा 50 पेड़ गूलर 45 पेड़ चिरौल 10 पेड़ जामुन कुल पेड़ो की संख्या 1235

नि: जोहरा बेगम

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702657

(4)

है जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है फलदार व इमारती लकड़ी के पेड़ है कुल पेड़ो की मालियत 12,35,000/–रू0 है जो पेज नं0 28 क्रम सं0 1 पर है इस प्रकार कुल बाजारू मालियत 57,53,000/–रू0 है परन्तु विक्रय मूल्य अधिक होने की वजह से स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है।

नि. जोहराबेगम वहीदखाँ शहीदखाँ जहीरखाँ

1

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702658

(5)

1. भूमि का प्रकार :– कृषि भूमि

2. ग्राम :– ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी

3. सम्पत्ति का विवरण :– कुल विक्रयशुदा रकवा 4.820 है0

नि. जोहरा बेगम   बेदी दरखाँ   वाहीदखाँ   जहीरखाँ

नसीर खान   Rajeek Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702659

(6)

4. मापन की इकाई :– हैक्टेयर

5. सडक की स्थिति :– किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है सड़क

व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर है।

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

नसीर खान Rajesh Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702660

(7)

6. प्रतिफल की राशि :– 85,68,000/–रू0 में से 26,93,000/–रू0 नगद व 11,75,000/–रू0 जरिये चैक नं0 110254 व 11,75,000/–रू0 जरिये चैक नं0 110255 व 11,75,000/–रू0 जरिये चैक नं0 110256 व 11,75,000/–रू0 जरिये चैक नं0 110257 व 11,75,000/–रू0 जरिये चैक नं0 110258 सभी चैक दिनांक 0906.2008 ई0 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक झॉसी के विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिये है।

नि. जोहरा बेगम बद्दी दुखाँ शाहीद खाँ जहीर खाँ

नसीर खाँ Rajesh Bansal

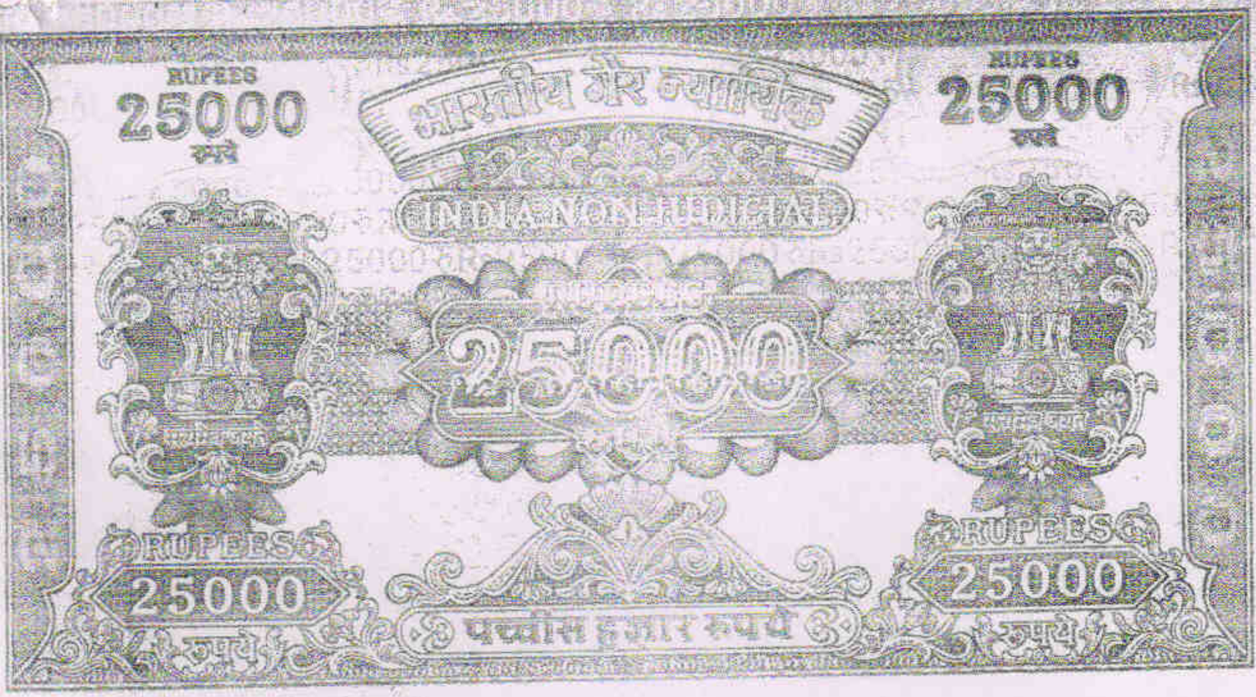

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702661

(8)

7 :– प्रथम पक्ष की संख्या :– पॉच

8. द्वितीय पक्ष की संख्या :– एक

9. <u>नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):–</u> श्रीमती जोहरा पत्नी स्व0 श्री छोटे खॉ व श्री वहीद खॉ व श्री सईद खॉ व श्री जहीर खॉ व श्री नसीर खॉ पुत्रगण स्व0 श्री छोटे खाँ निवासीगण ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉसी

702662

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :– मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी

नि. जोहरा बेगम   वहीद खाँ   शाहीद खाँ   जहीर खाँ

नसीर खाँ   Rajesh Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702663

(10)

यह विक्रय आज दिनांक 09.06.2008 ई0 को श्रीमती जोहरा पत्नी स्व0 श्री छोटे खॉ व श्री वहीद खॉ व श्री सईद खॉ व श्री जहीर खॉ व श्री नसीर खॉ पुत्रगण स्व0 श्री छोटे खाँ निवासीगण ग्राम खैलार परगना व तहसील झॉसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ सईद खाँ जहीर खाँ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702664

(11)

लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र

श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झॉसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा

गया है) में निष्पादित किया गया है।

नि जोहरा बेगम बहीदरवाँ शाहीद खाँ जहीरखाँ

Rajesh Bansal

नसीर खान

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702665

(12)

<u>विक्रय सम्पत्ति का विवरण</u> :– आराजी मौजा ग्राम खैलार परगना व

तहसील झॉसी जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खाता सं0	भूमिधरी नं0	रकवा
00142	2023 / 2	1.522 है0
	2024	0.125 है0

नि. जोहरा बेगम   बदीदखाँ   शाहीद खाँ   जहीरखाँ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702666

(13)

2025 0.024 है0

2028 1.356 है0

2029 0.073 है0

2030 0.081 है0

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702667

(14)

2031 0.401 है0

2032 0.858 है0

2033 0.068 है0

2034/2 0.312 है0

कुल 10 किता रकवा 4.820 है0 सम्पूर्ण वय किया है उक्त भूमिधरी

नि. जोहरा बेगम   वहीद खाँ   शाहिद खाँ   जहीर खाँ

Ravish Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702668

(15)

विक्रेतागणों ने दिनांक 16.08.1997 ई0 खण्ड 1595 के पेज 55/76 क्रम सं0 4761 पर दर्ज सब रजिस्ट्रार कार्यालय झाँसी है श्री महाराज सिंह से खरीदी थी। भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है एवं कृषि भूमि है। कुल लगान 40/–रू0 वार्षिक है।

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702669

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विघ्न,प्रतिबन्ध,भार एवं बाधा आदि से

पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेतागण को बेचने एवं हस्तांतरित

नि० जोहरा बेगम   शहीद खाँ   शाहिद खाँ   जहीर खाँ

नसीर खान   Rorish Bansal

RUPEES 25000 रुपये | भारतीय गैर न्यायिक | RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये | पच्चीस हज़ार रुपये | RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702670

(17)

करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण

रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो

गया है।

नि. जोहरा बेगम   वहीद खाँ   शाहिद खाँ   जहीर खाँ

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702671

(18)

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के

पश्चात विक्रेता,क्रेतागण को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय

नि. जोहरा बेगम फरीदखाँ शाहिद खाँ जहीरखाँ

नसीर खान Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702672

(19)

एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा

धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार ,जो विक्रेंता को प्राप्त थे,

वे क्रेतागण को प्राप्त हो गये है।

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

नसीर खान [illegible]

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702673

(20)

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार

क्रेतागण को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

[illegible] [illegible]

25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702674

3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों

का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए ,सम्पत्ति क्रेतागण को सौप दी है

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702675

(22)

तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेतागण अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगे।

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH** 702676

(23)

4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार , उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702677

(24)

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिल्कीयत,

त्रुटि होने के कारण क्रेतागण को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702678

(25)

कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पडता है, तो

विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी,

नि० जोहरा बेगम   वहीद खाँ   शाहीद खाँ   जहीर खाँ

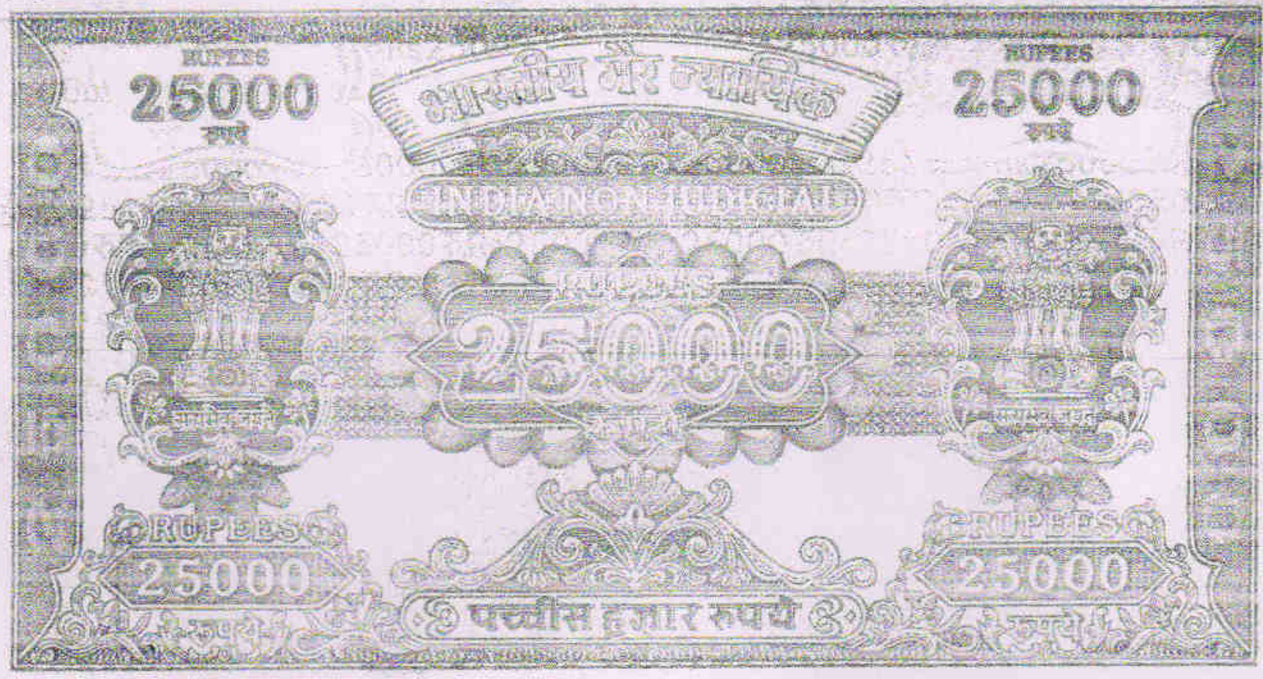

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702679

की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल

या दोनो सम्पत्तियों के द्वारा क्रेतागण वसूल करने के उत्तरदायी होगे।

इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नही होगा।

नि. जोहराबेगम शहीदखाँ जहीरखाँ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702680

(27)

6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यो का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।

नि. जोहरा बेगम   वहीद खाँ   शाहीद खाँ   जहीरखाँ

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702681

(28)

7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता

विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति,

नि॰ जोहरा बेगम शाहीद खाँ जहीर खाँ

नसीर खान

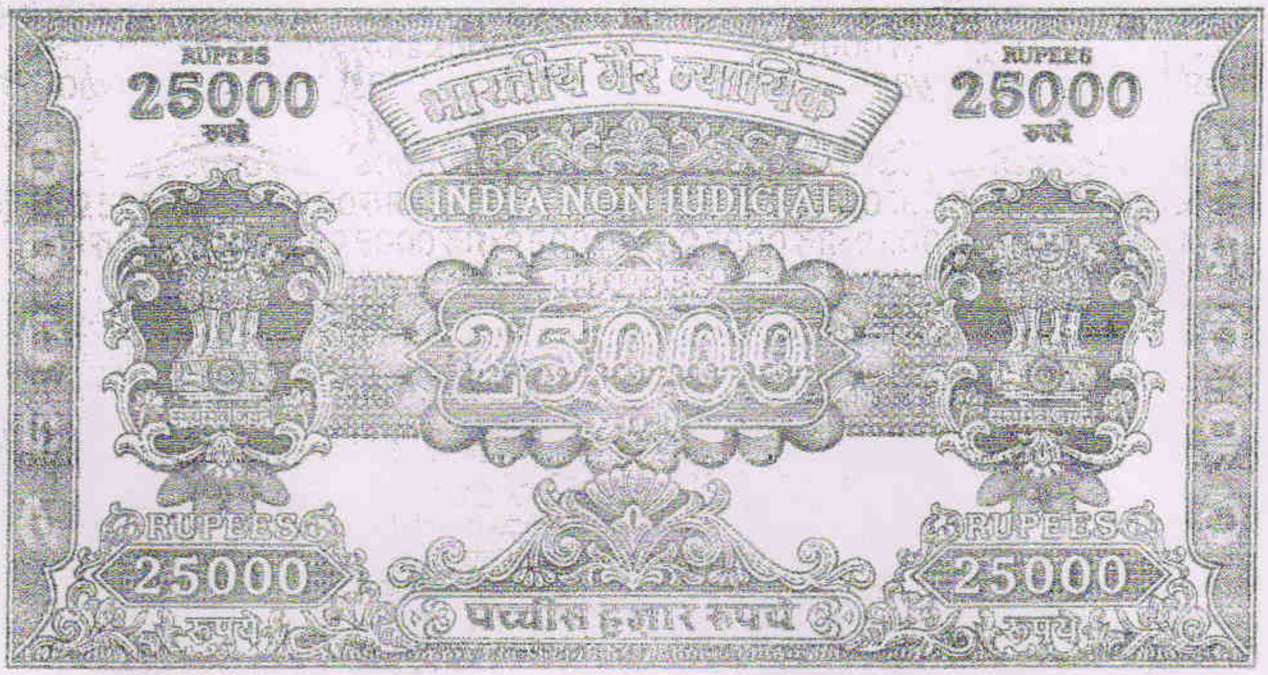

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702682

संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया

अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते है, तब विक्रेतागण उक्त राशि

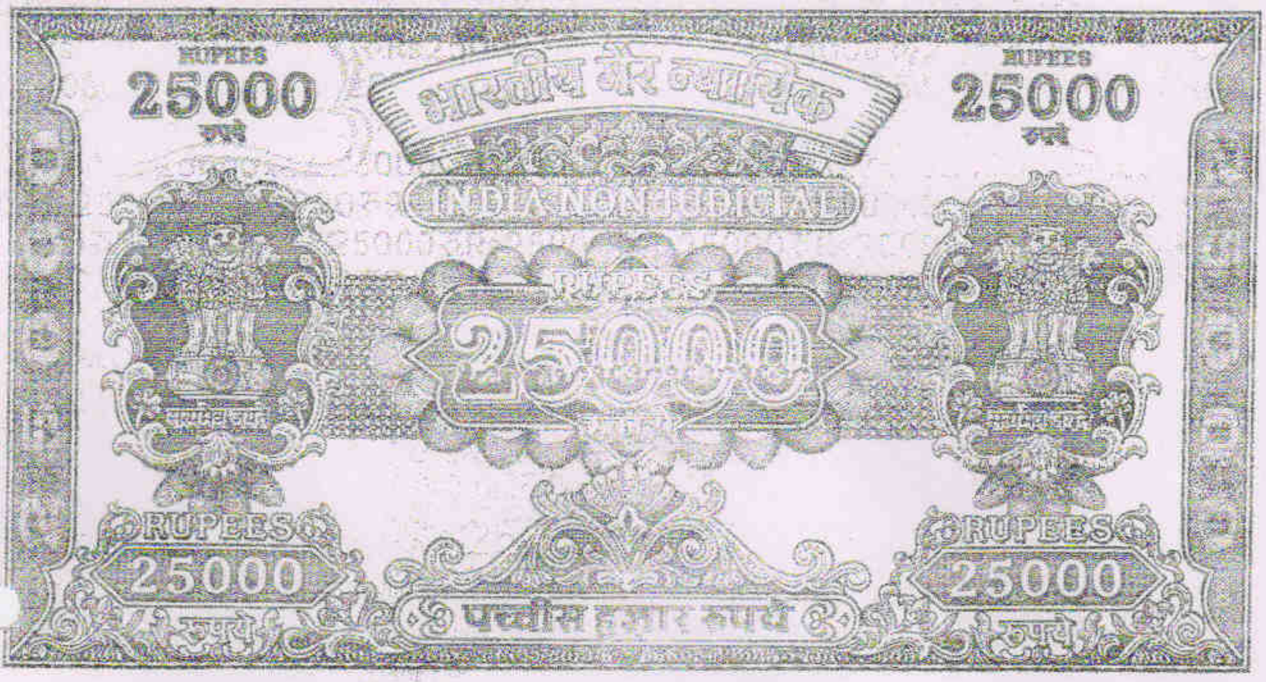

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702683

(30)

को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेतागण उक्त राशि को विक्रेता से

अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व

एतराज नही होगा।

जोहरा बेगम वहीद खाँ शहीद खाँ जहीर खाँ

1

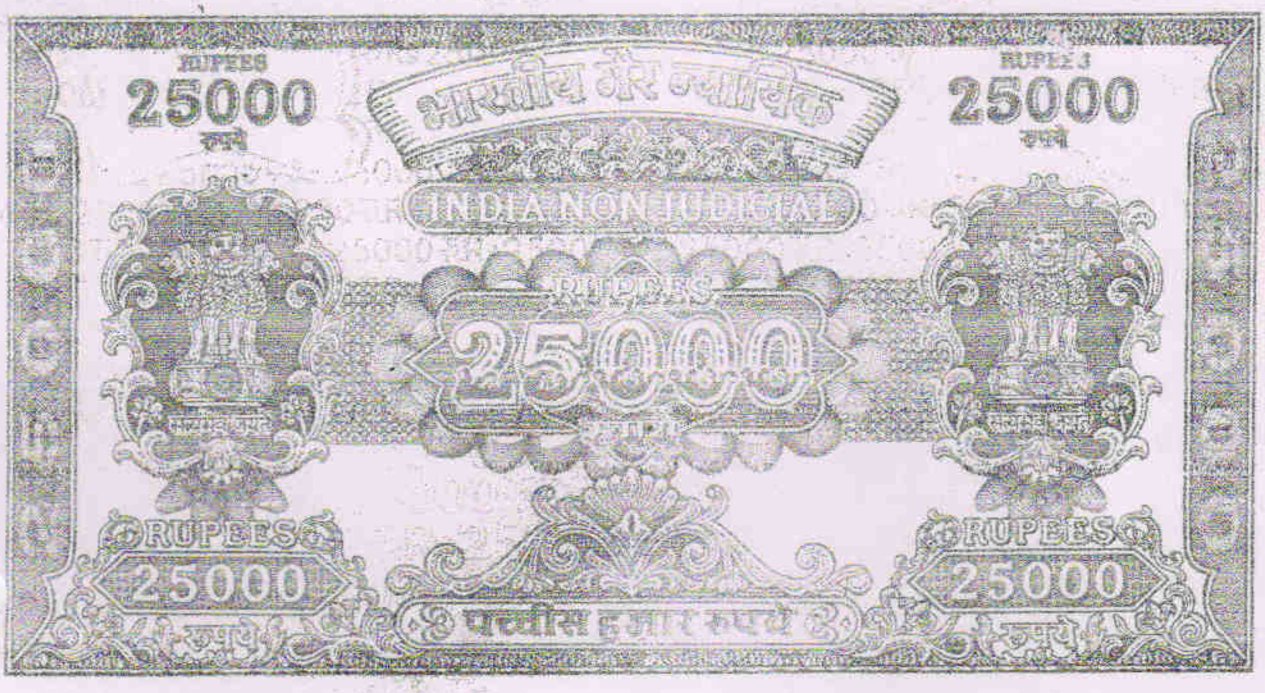

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702684

(31)

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार

तहसील व जिला झाँसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

नि. जोहराबेगम वहीद खाँ शहीद खाँ

Rajesh Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 702685

(32)

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य

नही है।

मि. जोहराबेगम वहीदखाँ शाहीदखाँ जहीरखाँ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

702686

(33)

10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी,

न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया

नि० जोहराबेगम वहीदखाँ शाहीदखाँ जहीरखाँ

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

379619

जाता है तब क्रेतागण, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

की दर से वसूल पाने के अधिकारी होगे।

नि. जोहरा बेगम बद्दो दुर्खां शाहिद खां जहीर खां

नसीर खान Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 505154

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेतागण एवं क्रेतागण शब्द का

वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी

नि० जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

नसीर खाँ Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 505153

न हो विक्रेतागण तथा क्रेतागण ही होगा एवं उनमें उनके

प्रतिनिधि,उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहीद खाँ जहीर खाँ

1000Rs.

(37)

अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होगे। साक्षियों की उपस्थिति में

उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणो एवं धराओं के

नि॰ जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहीद खाँ जहीर खाँ

नसीर खान Harish Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 835603

प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ।

नि. जोहरा बेगम वहीद खाँ शाहिद खाँ जहीर खाँ

नसीर खाँ

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 656815

उक्त फर्म ने दिनांक 27.07.2007 ई0 को बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की मीटिंग

नोह बेगम   वहीद खाँ   शाहिद खाँ   जहीरखाँ

नसीर खान   Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 656817

दिनांक :— 09.06.2008 ई0

प्रारूपकर्ता :— Kamaim अहमद तसील नवीस तहः झांसी

प्रस्तुत प्रलेख के निष्पादन का प्रस्तावित विवरण
श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
निवासी .... तहः ....
के द्वारा प्रस्तुत है।

नि. जोहराबेगम

हस्ताक्षर निष्पादक

वहीदखाँ

शाहीदखाँ

बशीरखाँ

नसीर खाँ

Rajesh Bansal

........पत्र लेखक